रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221682
SG-DL-E-11092020-221682

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
No. 187]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942	[N. C. T. D. No. 132

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–II (विभाग)

(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायात (आधुनिकीकरण): दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

सं. फा. 20/4/2003/गृ.पु.–II–4332.—जबकि, लाला जगत नारायण की सर्विस रोड, पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए लाला जगत नारायण की सर्विस रोड पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस, यातायात (आधुनिकीकरण) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा लाला जगत नारायण की सर्विस रोड पर निशांत कुँज की तरफ, बाटा शोरूम (दुकान संख्या 500) से निशांत कुँज (दुकान संख्या 31) तक, सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिदिन, एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ, अगले आदेश तक ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाऐंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनॉक 10/09/2020 को जारी किया गया ।

सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC (MOD.): DELHI)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 2020

F. No. 20/4/2003/HP-II-4332.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users on service road of Lala Jagat Narain Marg;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on service road of Lala Jagat Narain Marg to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Satyawan Gautam, Deputy Commissioner of Police/Traffic (Modernization), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on service road of Lala Jagat Narain Marg towards Nishant Kunj from Bata Showroom (Shop No. 500) to Nishant Kunj (Shop No. 31) for all type of vehicles from 9.00 AM to 9.00 PM, everyday, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 10/09/2020.

SATYAWAN GAUTAM, Deputy Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA